प्र.सं. ..../

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज

तारीख हुकम	
15/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रा०पत्र U/s 10 CPC पर जवाब हेतु अवसर चाहा अतः प्रा०पत्र कायम मुकामान प्रति.से. 7 पेश हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार जवाब प्रा.पत्र U/s 10 CPC एवं पेश करने प्रा०पत्र कायम मुकामान दि. 29/7/24 को पेश हो।
29/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उप०। प्रा.पत्र U/s 10 CPC का जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब वादी बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश करने प्रा०पत्र कायम मुकामान प्रति.से. 7 एवं बहस प्रा.पत्र U/s 10 CPC हेतु दि. 27/8/24 को पेश हो।
27/8/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC पर बहस सुनी गई। बहस उभयपक्ष पर मनन कर प्रा० पत्र प्रार्थी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी बाबत एक अपील वादी द्वारा अपील संख्या 57/2023 जितेन्द्र चौहान बनाम राधेश्याम वगै० संभागीय आयुक्त महो० कोटा के यहां विचाराधीन जिसमें अपीलार्थी जितेन्द्र चौहान द्वारा अपील में जगनी बाई का नाम हटाकर अपीलार्थी का नाम खातेदार घोषित करने की अपील प्रस्तुत की है तथा माननीय न्यायालय में वादी जितेन्द्र चौहान द्वारा खातेदार घोषित करने का वाद पत्र पेश किया। दोनों प्रकरणों में पक्षकार एवं कृषि भूमि समान होने से धारा 10 CPC के अन्तर्गत वाद स्थगित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में माननीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महो० कोटा के न्यायालय में जेरकार अपील 57/2023 की प्रति पेश की। प्रार्थना पत्र धारा 10 CPC पर वकील वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

Advocate

Scanned with OKEN Scanner

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र /..................

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें वाद वर्णित आराजी के संबंध में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय कोटा मे अपील जेरकार होना एवं तहसीलदार तालेड़ा के न्यायालय में भी अन्तर्गत धारा 135(2) में प्रकरण जेरकार होना अंकित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद वर्णित आराजी के संबंध में विभिन्न न्यायालय मे वाद दायर किये गए हैं। ऐसी स्थिति में विरोधाभासी निर्णय पारित होने की प्रबल संभावना के मद्देनजर प्रकरण मे को स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 10 CPC स्वीकार किया जाकर वाद को इसी स्तर पर प्रार्थी को अन्य न्यायालयो मे जेरकार प्रकरणो के निर्णय पश्चात् इस बाबत् की वाद वर्णित आराजी के संबंध मे अब अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जेरकार नही है का शपथ पत्र मय प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रकरण में अंतिम कार्यवाही हेतु पुन: चलाये जाने की अनुमति के साथ स्थगित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। ह॰	